CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 47 ▫ रायपुर, मंगलवार 11 मार्च 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

गैंगस्टर अमन साव एनकाउंटर में मारा गया

रायपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जानकारी के मुताबिक, रांची पुलिस अमन साव को रायपुर जेल से झारखंड लेकर जा रही थी, इसी दौरान रामगढ़ के पास अमन गैंग के सदस्यों ने पुलिस काफिले पर बम से हमला कर दिया।

हमले के दौरान अमन साव ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस की इंसास राइफल लूट ली और भागने लगा। पुलिस ने तुरंत पीछा किया, लेकिन इस दौरान अमन के साथियों ने पुलिस पर फिर से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अमन साव मारा गया, जबकि मुठभेड़ में एक पुलिस जवान घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और पुलिस अमन गैंग के फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस को पहले से अमन साव के भागने की आशंका थी, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी है। अमन साव पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे। घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और पुलिस अमन गैंग के फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस को पहले से अमन साव के भागने की आशंका थी, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी है। अमन साव पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे।

पुलिस हिरासत से भाग रहा था

भूपेश बघेल के बेटे को ईडी का समन, छापेमारी के बाद अब शराब घोटाले में होगी पूछताछ

रायपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में 15 मार्च को तलब किया है। जूनियर बघेल को संघीय एजेंसी के रायपुर कार्यालय में तलब किया गया है। यह तब हुआ जब ईडी ने दुर्ग जिले में भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों सहित 14 ठिकानों पर छापेमारी की। घंटों चली छापेमारी के दौरान, संघीय एजेंसी - सीआरपीएफ की एक टीम के साथ - कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दस्तावेज और लगभग 30 लाख रुपये जब्त किए।

तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए। चैतन्य के अलावा उनके कथित करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल और अन्य के परिसरों की भी तलाशी ली गई। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी सुबह करीब सात बजे शुरू हुई और ईडी के तलाशी दल के साथ सीआरपीएफ का सुरक्षा दल भी था। उन्होंने कहा कि चैतन्य बघेल अपने पिता के साथ भिलाई में रहते हैं, इसलिये उस परिसर पर भी छापेमारी की गयी।

शीर्ष अदालत ने 2024 में इस मामले में ईडी की पहली ईसीआईआर (प्राथमिकी) खारिज कर दी थी, जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी। तब ईडी ने उसके द्वारा जुटाये गये सबूतों के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को नयी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और फिर उसने खुद नया मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू/एसीबी ने पिछले साल 17 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी तथा लखमा और पूर्व सचिव विवेक धंड समेत 70 व्यक्तियों एवं कंपनियों को नामजद किया था। उससे करीब एक माह पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराया था।

होटल कारोबारी, राईस मिलर और कांग्रेस नेताओं के घरों से लौटे ईडी अफसर

भिलाई, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने हाल ही में कई प्रमुख स्थानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई के तहत कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं लोकसभा सांसद कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू, होटल कैम्बियन के मालिक एवं राइस मिलर कमल अग्रवाल, बिल्डर मनोज राजपूत, राइस मिलर विनोद अग्रवाल, भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर, सहेली ज्वेलर्स के मालिक सुनील जैन और स्टाम्प वेंडर संतोष स्वर्णकार के घर और कार्यालयों में छापेमारी की गई।

सबसे अधिक समय तक जांच राजेंद्र साहू और मनोज राजपूत के निवास पर चली। मनोज राजपूत के नेहरू नगर स्थित मकान में सुबह से शाम तक कार्रवाई जारी रही। इसके बाद उनकी लेआउट साइट ऑफिस पर भी रात 10:30 बजे तक जांच चलती रही। जांच के दौरान ईडी की टीम ने मनोज राजपूत के घर से कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मोबाइल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने मनोज राजपूत से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के साथ संबंधों की जानकारी मांगी। इसके अलावा उनके करोड़ों के घर और बड़े प्रोजेक्ट में लगाई गई राशि का भी विवरण पूछा गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू के निवास पर देर शाम तक जांच जारी रही। जैसे-जैसे शाम ढलती गई, उनके समर्थक और कांग्रेस के अन्य नेता उनके घर के बाहर एकत्रित हो गए। नाराज समर्थकों ने कार्यवाही के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। आखिरकार देर रात ईडी की टीम ने अपने साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अपनी जांच समाप्त की।

ब्रेकिंग न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर मॉरीशस पहुंचे

नई दिल्ली, 11 मार्च (न्यूज चैनल)। पीएम मोदी की मॉरीशस यात्रा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर मॉरीशस पहुंचे। 12 मार्च को वे मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर पीएम नवीन रामगुलाम, विपक्षी नेता, जज और 200 वीवीआईपी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत और मॉरीशस के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। यह 2015 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी मॉरीशस यात्रा है। पीएम मोदी 20 से अधिक भारत-निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सिविल सर्विसेज कॉलेज भवन और एरिया हेल्थ सेंटर शामिल हैं।

साउथ मूवी की शूटिंग जगदलपुर में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा पहुंचीं

जगदलपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचीं। यहां एयरपोर्ट में कुछ घंटे बिताने के बाद वे यहां से सीधे ओडिशा के कोरापुट के लिए निकल गईं। बताया जा रहा है कि वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इससे पहले साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर महेश बाबू भी जगदलपुर आए थे। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने क्रू मेंबर के साथ हैदराबाद से प्राइवेट विमान से जगदलपुर पहुंची थी। यहां से सड़क मार्ग के जरिए वे सीधे पड़ोसी राज्य ओडिशा गईं। ओडिशा के कोरापुट में जिस जगह फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहां आस-पास कहीं भी एयरपोर्ट नहीं है। उस लोकेशन से सबसे नजदीक छत्तीसगढ़ का जगदलपुर ही है। ऐसी चर्चा है कि कोरापुट के पास देवमाली हिल्स में साउथ मूवी की शूटिंग चल रही है। जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं। हालांकि, इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है।

चूहा- सुनती हो, भूपेश बघेल ईडी छापेमारी को लेकर कह रहे हैं कि मेरे घर जबरन कार्रवाई कर रहे हैं।

चुहिया- हां जी, राजनीतिक प्रतिशोध तो जबरन ही होता है..!

भूपेश बघेल ने विधानसभा में उठाव के अतिरिक्त धान-चावल के इस्तेमाल का प्रश्न उठाया

खाद्य मंत्री ने बताया- जल्द करेंगे फैसला

रायपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाव के अतिरिक्त धान-चावल के इस्तेमाल का प्रश्न उठाया. खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि पिछली सरकार जो व्यवस्था करती थी, वही यह सरकार भी करेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने प्रश्न की शुरुआत खरीफ वर्ष 2024- 25 में केंद्रीय पुल में धान उठाव और चावल जमा करने से की. इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि 69.72 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जिसके एवज में अब तक 9 लाख मीट्रिक टन जावल जमा किया गया हैं. कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने संजारी बालोद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 2024-25 में समर्थन मूल्य पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 22 लाख 500.48 टन धान ख़रीदी की गई है. संजारी बालोद में 2024-25 में धान ख़रीदी का कितना लक्ष्य रखा गया है. मंत्री दयालदास बघेल ने कहा लक्ष्य निर्धारित नहीं, अनुमानित होता है. इस पर कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल किया कि रकबा से कम ख़रीदी क्यों हुई है. इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने कहा जीतना किसानों से धान आया, उतना खरीदा गया है.

धान निष्पादन पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया विपक्ष, चर्चा नहीं होने पर किया वॉकआउट

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन धान निष्पादन पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने धान की नीलामी से प्रदेश को 8 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की बात उठाई. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव पर कहा कि सरकार ने स्वीकार किया कि धान की नीलामी होगी. पिछले समय भी धान का निष्पादन नहीं हो पाया था. धान नीलामी से छत्तीसगढ़ को करीब 8 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा. उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के खिलाफ केंद्र का उपेक्षापूर्ण रवैया बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चार इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई है. आने वाले वर्ष में घाटा लगा तो धान खरीदी प्रभावित होगी. इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुरोध करने की बात कही. नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान धान की नीलामी से प्रदेश को करीब 8 हजार रुपए रुपए के नुकसान की बात दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों, गरीबों को हक की राशि मिलनी चाहिए. सोच बदलने के लिए विपक्ष ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

बड़ाजी थाने के आरक्षक ने जंगल में की आत्महत्या, पेड़ पर लटका मिला शव

जगदलपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। जिले के बड़ाजी थाने में तैनात एक युवा आरक्षक ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक, 25 वर्षीय आरक्षक नवलेश कश्यप ने अपने घर से कुछ दूरी पर तकरागुड़ा जंगल में यह कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, नवलेश मूल रूप से लोहंडीगुड़ा का निवासी था। वह पहले डीआरजी में कार्यरत था, लेकिन बाद में उसकी नियुक्ति बड़ाजी थाने में हुई। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिनों से तनाव में था, हालांकि आत्महत्या का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों और दोस्तों से पूछताछ में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली।

छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा साइबर एक्सपर्ट! हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में मांगी नियुक्ति की जानकारी

बिलासपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य में साइबर एक्सपर्ट की तुरंत नियुक्ति करने को कहा है। अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित कर इसी दिन नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश केंद्र शासन को दिया है।

प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने पिछले माह हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है। लगातार साइबर अपराध हो रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट की नियुक्ति जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार को तत्काल नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि देशभर में केंद्र सरकार ने 16 जगहों पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में किसी साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का राज्य में कोई परीक्षक नहीं है। इस पर कोर्ट ने प्रतिवादियों को इस पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। सोमवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में केंद्र के अधिवक्ता ने बताया कि अभी साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की जा सकी है, इसके लिए कोर्ट के आदेश की जानकारी प्रेषित की गई है। कोर्ट ने कहा कि साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति हर हाल में की जाए। अगली सुनवाई तक यह जानकारी आनी चाहिए कि किस सायबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है।

आज-कल में होगी निगम एमआईसी की घोषणा महिला, अनुभवी व युवाओं का होगा संगम

मेयर इन काउंसिल के लिए पार्षदों के नाम तय

सभी के सहयोग से शहर विकास को दी जाएगी गति : रामू रोहरा

धमतरी, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। नगर निगम चुनाव के पश्चात महापौर व पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद सभापति व एमआईसी मेम्बरों के नाम को लेकर चर्चा रही। चूंकि सभापति चुनाव सम्पन्न हो चुका है अब सबकी नजरे एमआईसी पर टिकी हुई है। महापौर रामू रोहरा से मिली जानकरी के अनुसार आज या कल में एमआईसी टीम का गठन कर दिया जाएगा। टीम में महिला, अनुभवी व युवाओं को स्थान देकर बेहतर समन्वय बनाकर शहर विकास को गति दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि धमतरी नगर निगम में 40 वार्ड है जिसके 20 प्रतिशत अर्थात 8 पार्षदों को एमआईसी में स्थान दिया जाता है। इन 8 पार्षदों के बीच निगम के 10 विभागों का बटवारा किया जाता है। एमआईसी के पार्षद दिए गए विभाग के अध्यक्ष होते है। माना जा रहा है कि एमआईसी में शामिल होने वाले पार्षदों के नाम तय हो चुके है बस घोषणा का इंतजार है। होली के पहले 8 पार्षदों को विभाग अध्यक्ष की सौगात मिलेगी। निगम में कई विभाग जैसे लोकनिर्माण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, भवन अनुज्ञा, जल विभाग, जैसे कुछ विभाग को काफी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। देखना होगा कि उक्त महत्वपूर्ण विभागो की जवाबदारी किन पार्षदों को दी जाती है। वैसे तो एमआईसी में स्थान बनाने को लेकर नये व अनुभवी कई पार्षदों के नाम की चर्चा है। इनमें वे पार्षद भी शामिल है जिन्हें सभापति के लिए भी दावेदार माना जा रहा था। चर्चा के दौरान महापौर रामू रोहरा ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। निगम के सबसे महत्वपूर्ण पद निगम अध्यक्ष की जवाबदारी महिला पार्षद को दी गई है। एमआईसी में भी महिलाओं को भी स्थान दिया जायेगा। एमआईसी में शामिल सदस्यों व सभी पार्षदों के साथ मिलकर शहर विकास को गति दी जाएगी। बुनियादी सुविधाओं कों और बेहतर बनाने का प्रयास होगा।

देश से चार बड़े कानून होंगे खत्म, तैयारी पूरी आज लोकसभा में गृहमंत्री पेश करेंगे बिल

नई दिल्ली, 11 मार्च (न्यूज चैनल)। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करेंगे। इसका मकसद भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। इसके लागू होने के बाद भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होगी। इस बिल के कानून बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े चार पुराने कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा।

इस बिल के तहत, इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। हालांकि पहले भी अधिकारी के पास विदेशियों को भारत में घुसने से रोकने का अधिकार था, लेकिन कानून में ये स्पष्ट नहीं था। अब यह लिखित कानून में होगा. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कानून बनने के बाद भारत के चार पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। इनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं।

इस नए बिल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रुभता को प्राथमिकता देते हुए विदेशी नागरिकों के प्रवेश और उनके अवैध रूप से रहने को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति का देश में रहना देश के लिए खतरा बनता है या फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में अवैध रूप से नागरिकता लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के प्रवेश से भारत के किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब होते है तो उसे देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बिल के तहत, अगर वीजा एक्सपायर होने के बाद भारत में विदेशी नागरिक अवैध रूप से रहते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी पासपोर्ट से भारत में ली एंट्री तो होगी सजा

इस बिल में अलग-अलग स्थितियों और उन पर होने वाली सजाओं का भी जिक्र है. अगर कोई व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अगर व्यक्ति ने पासपोर्ट धोखाधड़ी से प्राप्त किया है और उसके बाद भारत में एंट्री ली तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

CMYK